Think IAS...

दृष्टि The Vision

Think Drishti

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC)

भारतीय राजव्यवस्था

(छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ सहित)

भाग–1

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (Distance Learning Programme)

Code: CGPM21

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC)

भारतीय राजव्यवस्था

(छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ सहित)

भाग–1

641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली–110009
दूरभाष : 8750187501, 011-47532596
टोल फ्री : 1800-121-6260
Web : www.drishtiias.com
E-mail : online@groupdrishti.com

पाठ्यक्रम, नोट्स तथा बैच संबंधी updates निरंतर पाने के लिए निम्नलिखित पेज को "like" करें
www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
www.twitter.com/drishtiias

CGPCS DLP विषय सूची (Contents)

1.	**राजव्यवस्था : एक परिचय**	**5–29**
	1.1 राज्य, राज्य के तत्त्व तथा राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता	5
	1.2 राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ती है?	6
	1.3 शासन के अंग	7
	1.4 शासन प्रणालियों के विभिन्न प्रकार–1	13
	1.5 शासन प्रणालियों के विभिन्न प्रकार–2	16
	1.6 लोकतंत्र व संविधानवाद का ऐतिहासिक विकास	21
	1.7 लोकतंत्र के प्रकार	23
2.	**भारतीय संविधान : एक परिचय**	**30–73**
	2.1 भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार	30
	2.2 संविधान सभा तथा संविधान का निर्माण	37
	2.3 भारतीय संविधान की विशेषताएँ	44
	2.4 संविधानों का वर्गीकरण और भारतीय संविधान	48
	2.5 भारतीय संविधान परिसंघात्मक है, संघात्मक या एकात्मक?	49
	2.6 भारतीय संविधान के विभिन्न भाग तथा विषय	52
	2.7 भारतीय संविधान के महत्त्वपूर्ण अनुच्छेद	54
	2.8 संविधान की अनुसूचियाँ	57
	2.9 संविधान संशोधन	59
	2.10 भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना	68
3.	**संविधान की प्रस्तावना**	**74–80**
	3.1 प्रस्तावना की विषय–वस्तु	74
	3.2 प्रस्तावना की उपयोगिता	75
4.	**भारत संघ और उसका राज्यक्षेत्र**	**81–125**
	4.1 संविधान का भाग–1 : अनुच्छेद 1–4	81
	4.2 स्वतंत्रता के पश्चात् देश के भीतर एकीकरण और पुनर्गठन	87
	4.3 संघ राज्यक्षेत्रों का परिचय	101
	4.4 संघ राज्यक्षेत्रों की शासन व्यवस्था	102

4.5 दिल्ली के लिये विशेष प्रावधान 105
4.6 जम्मू-कश्मीर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 109
4.7 अनुच्छेद-370 110
4.8 जम्मू-कश्मीर पर भारतीय संविधान का प्रभाव 111
4.9 अनुच्छेद 35(A) 115
4.10 कुछ राज्यों के लिये विशेष उपबंध 119
5. नागरिकता **126–142**
5.1 परिचय 126
5.2 भारतीय नागरिकता का स्वरूप 127
5.3 संवैधानिक प्रावधान 129
5.4 नागरिकता अधिनियम, 1955 131
5.5 विदेशी निवासियों के विशेष दर्जे 135

अध्याय
1

राजव्यवस्था : एक परिचय
(Polity : An Introduction)

1.1 राज्य, राज्य के तत्त्व तथा राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता *(State, Elements of State and the Need of Political System)*

भारतीय राजव्यवस्था को समझने से पहले ज़रूरी है कि राजव्यवस्था (Polity) की कुछ मूलभूत अवधारणाओं तथा पारिभाषिक शब्दावली (Terminology) से आप परिचित हों। ऐसी कुछ महत्त्वपूर्ण अवधारणाएँ तथा उनकी व्याख्या आगे दी गई हैं।

राज्य क्या है? *(What is state?)*

राजव्यवस्था से जुड़ी सबसे प्राथमिक अवधारणा 'राज्य' (State) है। राज्य शब्द का प्रयोग यूँ तो विभिन्न प्रांतों, जैसे उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु आदि को सूचित करने के लिये भी होता है, किंतु इसका वास्तविक अर्थ किसी प्रांत से न होकर किसी समाज की **राजनीतिक संरचना** से होता है। वस्तुत: यह एक **अमूर्त (Abstract)** अवधारणा है अर्थात् इसे बौद्धिक स्तर पर समझा तो जा सकता है किंतु देखा नहीं जा सकता। उदाहरण के लिये भारत की सरकार, संसद, न्यायपालिका, राज्यों की सरकारें, नौकरशाही से जुड़े सभी अधिकारी इत्यादि की समग्र संरचना ही **राज्य** कहलाती है। किसी समाज के विकसित व सक्षम होने की पहचान इस बात से भी होती है कि वह एक स्वतंत्र राज्य के रूप में विकसित हो सका है या नहीं? विश्व के अधिकांश विकसित देशों में एक स्थिर राजनीतिक प्रणाली का दिखाई देना (जैसे- संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैड, ऑस्ट्रेलिया में) और स्थिर राजनीतिक प्रणाली से वंचित देशों (जैसे कुछ समय पहले के अफगानिस्तान) में विकास प्रक्रिया का अवरुद्ध हो जाना इसी बात का प्रमाण है।

राज्य के तत्त्व *(Elements of state)*

किसी भी राज्य के होने की शर्त है कि उसमें चार तत्त्व विद्यमान हों-

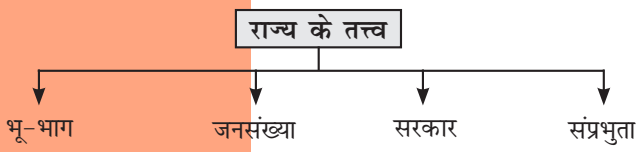

- **भू-भाग:** अर्थात् एक ऐसा निश्चित भौगोलिक प्रदेश होना चाहिये, जिस पर उस 'राज्य' की सरकार अपनी राजनीतिक क्रियाएँ करती हों। उदाहरण के लिये, भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल भारत राज्य का भौगोलिक आधार या भू-भाग है।
- **जनसंख्या:** राज्य होने की शर्त है कि उसके भू-भाग पर निवास करने वाला एक ऐसा जनसमुदाय होना चाहिये, जो राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार संचालित होता हो। यदि जनसंख्या ही नहीं होगी तो राज्य का अस्तित्व निरर्थक हो जाएगा।
- **सरकार:** सरकार एक या एक से अधिक व्यक्तियों का वह समूह है, जो व्यावहारिक स्तर पर राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करता है। 'राज्य' और 'सरकार' में यही अंतर है कि राज्य एक अमूर्त संरचना है, जबकि सरकार उसकी मूर्त व व्यावहारिक अभिव्यक्ति।
- **संप्रभुता या प्रभुसत्ता:** यह राज्य का अत्यंत महत्त्वपूर्ण तत्त्व है। इसका अर्थ है कि राज्य के पास अर्थात् उसकी सरकार के पास अपने भू-भाग और जनसंख्या की सीमाओं के भीतर कोई भी निर्णय करने की पूरी शक्ति होनी चाहिये तथा उसे किसी भी बाहरी और भीतरी दबाव में निर्णय करने के लिये बाध्य नहीं होना चाहिये।

राज्य के ये चारों तत्त्व अनिवार्य हैं, वैकल्पिक नहीं। यदि इनमें से एक भी अनुपस्थित हो तो राज्य की अवधारणा निरर्थक हो जाती है। इसे कुछ उदाहरणों की सहायता से ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा जा सकता है–

महत्त्वहीन मान लिया जाए। स्वीडन, नॉर्वे, फ्राँस और इटली की शासन प्रणालियाँ इसी प्रकार की हैं। भारत के संविधान निर्माताओं ने भी क्षेत्रीय तथा भाषायी वैविध्य (Regional and Linguistic Diversity) को देखते हुए इसी प्रणाली को चुना।

ध्यातव्य है कि 1990 के दशक में भारतीय बहुदलीय प्रणाली पर कई प्रश्न-चिह्न लगने लगे थे, क्योंकि उस दौर में केंद्रीय शासन के स्तर पर प्रायः 20 से अधिक दलों की मिली-जुली सरकारें बन रही थीं और कुछ दलों की राजनीतिक अपरिपक्वता के कारण बार-बार सरकारें गिर रही थीं। देश राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति का शिकार बन रहा था। उस समय कई राजनीतिक विद्वानों ने सुझाव दिया था कि भारतीय दलीय व्यवस्था को द्विदलीय प्रणाली के ढाँचे पर पुनर्व्यवस्थित किया जाना चाहिये, किंतु ऐसा करने की विशेष आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि भारतीय मतदाताओं की राजनीतिक परिपक्वता तथा उभरती हुई नई राजनीतिक संस्कृति के कारण धीरे-धीरे दो गठबंधन स्थिर होते गए तथा अधिकांश दल इन गठबंधनों के साथ जुड़ते गए। धीरे-धीरे एक ऐसी प्रणाली विकसित हो गई, जिसे द्विगठबंधनीय व्यवस्था कहा जाने लगा। अभी भी भारत में यही व्यवस्था चल रही है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन तथा संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन इस व्यवस्था में शामिल सबसे महत्त्वपूर्ण दो गठबंधन हैं। इस नए ढाँचे का लाभ यह है कि इसमें द्विदलीय प्रणाली वाली स्थिरता भी विद्यमान है और देश के भाषायी, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक वैविध्य को अभिव्यक्ति देने वाली बहुदलीय प्रणाली के लाभ भी शामिल हैं।

परीक्षोपयोगी महत्त्वपूर्ण तथ्य

- भू-भाग, जनसंख्या, सरकार तथा संप्रभुता राज्य के अनिवार्य तत्त्व है।
- विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका प्रायः सभी देशों में शासन के प्रमुख अंग हैं।
- शासक समूह में शामिल व्यक्तियों की संख्या के आधार पर राजतंत्र/तानाशाही, अल्पतंत्र/गुटतंत्र तथा लोकतंत्र प्रमुख शासन प्रणाली है।
- विधायिका तथा कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर संसदीय तथा अध्यक्षीय प्रणाली शासन के प्रमुख प्रकार हैं।
- परिसंघात्मक शासन प्रणाली को 'अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन कहा जाता है।
- संघात्मक शासन प्रणाली को 'अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है।
- एकात्मक प्रणाली (Unitary systerm) को 'विनाशी राज्यों' का अविनाशी संगठन' कहा जाता है।
- संसदीय प्रणाली में विधायिका सामान्यतः निम्न सदन तथा उच्च सदन में विभाजित रहती है।
- संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति या राज्याध्यक्ष/राष्ट्रध्यक्ष की भूमिका सामान्यतः प्रतीकात्मक होती है, वास्तविक रूप से शासन पर उनका कोई विशेष प्रभाव नहीं होता।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. भारत एक गणतंत्र है, जिसमें अंतर्निहित हैं:
   (a) राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है।
   (b) देश स्वतंत्र है।
   (c) देश में एक जनतांत्रिक व्यवस्था की सरकार है।
   (d) देश में अंतिम सत्ता संसद में निहित है।
2. भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
   1. भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है।
   2. राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है।

   नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2
3. भारत के संदर्भ में, संसदीय शासन-प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन-सा/से सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है/हैं?
   1. मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं।
   2. जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं।
   3. राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये।
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 3
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

4. निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?
अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है/हैं–
(a) कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है।
(b) राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है।
(c) राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है।
(d) ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही हैं।

5. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
1. भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है।
2. भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है।
3. भारत में लोकतांत्रिक समाज है।
4. भारत एक कल्याणकारी राज्य है।
उपरोक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
(a) केवल 1 और 2 केवल
(b) केवल 1, 2 और 3 केवल
(c) केवल 2, 3 और 4 केवल
(d) 1, 2 3 और 4

6. निम्नलिखित में कौन-सा राज्य का सबसे महत्त्वपूर्ण तत्त्व है?
(a) ध्वज (b) राजधानी
(c) संप्रभुता (d) शासनाध्यक्ष

7. भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है, क्योंकि–
(a) लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है।
(b) संसद, संविधान का संशोधन कर सकती है।
(c) राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता।
(d) मंत्रिपरिषद, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है।

8. संसदात्मक शासन व्यवस्था में–
(a) न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है।
(b) कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है।
(c) कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है।
(d) विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है।

9. राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ निहित होती हैं–
(a) राष्ट्रपति में (b) कैबिनेट में
(c) व्यवस्थापिका में (d) उच्च सदन में

10. भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं–
1. यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है।
2. इसमें संसदात्मक प्रणाली की सरकार है।
3. सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है।
4. यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है।
नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिये।
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1, 2 और 3
(c) केवल 2, 3 और 4
(d) सभी चारों

11. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही है?
(a) भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है
(b) भारत एक नाममात्र का राजतंत्र है
(c) भारत एक कुलीन तंत्र है
(d) भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है।

12. भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि–
(a) संविधान लिखित है
(b) यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किये गए हैं
(c) जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है
(d) यहाँ राज्य के नीति निदेशक तत्त्व हैं।

13. भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से क्या है?
(a) सामूहिक उत्तरदायित्व
(b) न्यायिक समीक्षा
(c) द्वि-सदनात्मक व्यवस्थापिका
(d) वास्तविक एवं नाममात्र की कार्यपालिका

14. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:,
संवैधानिक सरकार वह है:
1. जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है।
2. जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

15. भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में कौन सही नहीं है?

(a) धर्मनिरेपक्ष राज्य

(b) संसदीय पद्धति की सरकार

(c) संघीय नीति

(d) राष्ट्रपति पद्धति की सरकार

16. राज्य के लिये अनिवार्य तत्त्व हैं:

1. जनसंख्या 2. सरकार

3. संप्रभुता 4. भू-भाग

कूट:

(a) केवल 1, 2 और 3

(b) केवल 2, 3 और 4

(c) केवल 1, 3 और 4

(d) 1, 2, 3 और 4

उत्तरमाला

1. (a) 2. (a) 3. (a) 4. (d) 5. (d) 6. (c) 7. (d) 8. (d) 9. (a) 10. (b)
11. (d) 12. (c) 13. (b) 14. (b) 15. (d) 16. (d)

अति लघुउत्तरीय प्रश्न (उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिये)

1. संसदीय शासन के लक्षण बताइए। **CGPCS (Mains) 2018**
2. संसदीय शासन की प्रमुख विशेषताएँ बताइए। **CGPCS (Mains) 2017**
3. संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक शासन के वर्गीकरण के सिद्धांत की विवेचना कीजिये। **CGPCS (Mains) 2014**
4. विधायिका का कार्य क्या है? बताइये।

लघुउत्तरीय प्रश्न (उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिये)

1. 'प्रत्यक्ष प्रजातंत्र' की पद्धतियाँ क्या हैं? **CGPCS (Mains) 2014**
2. दोहरी कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं? व्याख्या कीजिये।
3. संसदीय शासन प्रणाली क्या है? यह अध्यक्षीय प्रणाली से कैसे भिन्न है?

दीर्घउत्तरीय प्रश्न (उत्तर लगभग 100/125/175 शब्दों में दीजिये)

1. संविधानवाद क्या है? वर्तमान समय में इसके समक्ष विद्यमान चुनौतियों का समीक्षात्मक विश्लेषण करें।
2. केंद्र तथा प्रांतों के संबंधों के आधार पर शासन प्रणालियों को स्पष्ट करें।
3. समाजवादी लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? यह संविधान से कैसे निकट संबंध रखता है?

अध्याय
2

भारतीय संविधान : एक परिचय
(Indian Constitution : An Introduction)

2.1 भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार *(Historical Base of Indian Constitution)*

रेग्यूलेटिंग एक्ट, *1773 (Regulating act, 1773)*

इस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के शासन हेतु पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। भारतीय संवैधानिक इतिहास में इसका विशेष महत्त्व यह है कि इसके द्वारा भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं–

- बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया।
- कलकत्ता प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल व चार सदस्यों वाले परिषद के नियंत्रण में सरकार की स्थापना की गई।
- कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना (1774) की गई, जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार, उड़ीसा शामिल थे। सर एलिजाह इम्पे को इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया।
- भारत के सचिव की पूर्व अनुमति पर गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद (4 सदस्य) को कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया।
- अब बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का 'गवर्नर जनरल' कहा जाने लगा।
- इस एक्ट के तहत बनने वाले बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल 'लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स' थे।
- इस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार व भारतीय लोगों से उपहार/रिश्वत लेने को प्रतिबंधित कर दिया गया।
- कंपनी पर ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स (कंपनी की गवर्निंग बॉडी) का नियंत्रण बढ़ गया और अब भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया।
- व्यापार की सभी सूचनाएँ क्राउन को देना सुनिश्चित किया गया।

एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1781 *(Act of settlement, 1781)*

- रेग्यूलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से यह एक्ट लाया गया था। इसके तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिये भी विधि निर्माण की शक्ति प्रदान की गई।
- इस अधिनियम का प्रमुख प्रावधान गवर्नर जनरल की परिषद तथा सर्वोच्च न्यायालय के बीच के संबंधों का सीमांकन करना था।
- इस अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय पर यह रोक लगा दी गई कि वह कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता है, जो उन्होंने एक सरकारी अधिकारी की हैसियत से की हो अर्थात् कंपनी के अधिकारी शासकीय रूप से किये गए अपने कार्य के लिये सर्वोच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र से बाहर हो गए।
- न्यायालय की अपनी आज्ञाएँ तथा आदेश लागू करते समय सरकार के कानून बनाने तथा उसका क्रियान्वयन करते समय भारत के सामाजिक, धार्मिक रीति-रिवाज़ों का सम्मान करने का निर्देश दिया गया।

पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 *(Pitt's India act, 1784)*

- इस एक्ट को ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता यह थी कि 'निदेशक मंडल' (कोर्ट ऑफ़ डायरेक्टर्स) को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण (Monitoring)

अध्याय
3

संविधान की प्रस्तावना (Preamble of Constitution)

प्रस्तावना या उद्देशिका या आमुख (Preamble) किसी संविधान के दर्शन को सार-रूप में प्रस्तुत करने वाली संक्षिप्त अभिव्यक्ति होती है। सबसे पहले अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने अपने संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया था। इसके बाद, जैसे-जैसे विभिन्न देशों ने अपने संविधान बनाए, उनमें से कई देशों ने प्रस्तावना को महत्त्वपूर्ण मानकर इसे संविधान में शामिल किया। भारतीय संविधान सभा ने भी प्रस्तावना को शामिल करने पर सहमति जताई। वस्तुतः यह प्रस्तावना संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी, 1947 को स्वीकार किये गए उसी **उद्देश्य प्रस्ताव (Objective resolution)** का विकसित रूप है, जिसे पंडित नेहरू ने प्रस्तुत किया था और जिसमें निहित आदर्शों पर मूल स्वीकृति के आधार पर ही संविधान के विभिन्न उपबंध बनाए गए थे। **उद्देश्य प्रस्ताव और प्रस्तावना मिलकर भारतीय संविधान के दर्शन को मूर्त रूप प्रदान करते हैं।**

प्रस्तावना के संदर्भ में कई बिंदुओं पर विचार किया जाना अपेक्षित है, जैसे–

- प्रस्तावना की क्या उपयोगिता है?
- प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं?
- क्या प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के उपबंधों के तहत संशोधन किया जा सकता है?
- यदि भारतीय विधायिका या कार्यपालिका की नीतियाँ प्रस्तावना में उल्लिखित विचारों के अनुरूप न हों तो क्या प्रस्तावना में लिखित विचारों को न्यायालय द्वारा प्रवर्तित कराया जा सकता है?

3.1 प्रस्तावना की विषय-वस्तु *(Content of the Preamble)*

प्रस्तावना (उद्देशिका)	Preamble
हम, भारत के लोग, भारत को एक **संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य** बनाने के लिये तथा उसके समस्त नागरिकों को: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक **न्याय**, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की **स्वतंत्रता**, प्रतिष्ठा और अवसर की **समता** प्राप्त कराने के लिये, तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली **बंधुता** बढ़ाने के लिये दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई० (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत् दो हज़ार छह विक्रमी) को **एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।**	WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens : JUSTICE: social, economic and political; LIBERTY: of thought, expression, belief, faith and worship; EQUALITY of status and of opportunity; and to promote among them all FRATERNITY: assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation; IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

Note: 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में तीन शब्द– **समाजवादी (Socialist)**, **पंथ-निरपेक्ष (Secular)** तथा **अखंडता (Integrity)** जोड़े गए थे।

अध्याय
4

भारत संघ और उसका राज्यक्षेत्र
(Union of India and its Territories)

4.1 संविधान का भाग-1 : अनुच्छेद 1–4
(Part-1 of Constitution : Article 1-4)

भारतीय संविधान के भाग-1 (अनुच्छेद 1 से 4) में इस बात की चर्चा की गई है कि भारत के राज्यक्षेत्र (Indian territory) में किस-किस प्रकार की इकाइयाँ होंगी और उनका भारत संघ (Union of India) के साथ क्या संबंध होगा? इस भाग को ठीक से समझने के लिये हम सभी अनुच्छेदों पर क्रमशः विचार करेंगे–

अनुच्छेद-1 *(Article–1)*

संविधान के अनुच्छेद-1 के तीन खंड हैं- अनुच्छेद-1(1), 1(2) तथा 1(3)। इन तीनों में भारत संघ तथा उसके राज्यक्षेत्र से संबंधित बुनियादी सूचनाएँ दी गई हैं।

अनुच्छेद-1(1)

अनुच्छेद-1(1) में कहा गया है कि "इंडिया, अर्थात् भारत राज्यों का संघ होगा।" (India, that is Bharat, shall be a union of states)।

यह कथन निम्नलिखित दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है:

- इसमें 'इंडिया, दैट इज़ भारत' का जो प्रयोग किया गया है, उसे लेकर प्रश्न उठता है कि संविधान निर्माताओं को एक ही देश के दो नामों का उल्लेख करने की क्या आवश्यकता थी? वस्तुतः संविधान सभा में देश के नाम के मुद्दे पर काफी चर्चा हुई थी। जो लोग भारत की प्राचीन परंपरा और संस्कृति पर बल दे रहे थे, उनकी इच्छा थी कि देश का नाम 'भारत' होना चाहिये। दूसरी ओर, कुछ नेताओं की राय थी कि 'इंडिया' नाम से भारत को पूरे विश्व में पहचाना जाता है तथा यह आधुनिक नाम है, इसलिये देश का नाम इंडिया ही होना चाहिये। ध्यातव्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भी उस समय भारत का नाम 'इंडिया' था तथा हमारे देश के सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौते भी 'इंडिया' नाम से हुए थे। चूँकि, संविधान सभा विवाद के मामलों में सर्वसम्मति न हो पाने की दशा में समायोजन के सिद्धांत के अनुरूप कार्य करती थी, इसलिये उसने दोनों ही नामों को शामिल कर लेना उचित समझा। विवाद इस पर भी था कि 'इंडिया, दैट इज़ भारत' कहना ज्यादा उचित है या 'भारत, दैट इज़ इंडिया'। किंतु, इस विवाद पर ज़्यादा बल न देते हुए 'इंडिया, दैट इज़ भारत' अभिव्यक्ति को चुन लिया गया। इसका अर्थ यह है कि देश का औपचारिक नाम 'इंडिया' है।
- इस कथन में प्रयुक्त शब्द 'यूनियन' भी व्याख्या की अपेक्षा रखता है। संविधान सभा के समक्ष यह प्रश्न काफी महत्त्वपूर्ण था कि भारत की शासन प्रणाली को एकात्मक ढाँचे के अनुसार रखा जाए या संघात्मक ढाँचे के अनुसार? संविधान सभा शुरू में राज्यों को अधिकाधिक स्वायत्तता देने के पक्ष में थी, किंतु भारत-पाक विभाजन के बाद उसकी राय बदल गई। वह समझ गई कि विभिन्न रियासतों से मिलकर बने देश के समक्ष एक बड़ी चुनौती राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने की है। इसके लिये ज़रूरी था कि केंद्र की शक्ति ज़्यादा हो और राज्यों को इतनी स्वाधीनता न दी जाए कि भविष्य में किसी भी तनाव की स्थिति में राष्ट्रीय एकता पर खतरा उपस्थित हो जाए।

  डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने 'यूनियन' शब्द का प्रयोग करने के पीछे निम्न स्पष्ट कारण बताए हैं–
  - ◆ भारत विभिन्न राज्यों के मध्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है,
  - ◆ किसी भी राज्य को भारत संघ से पृथक् होने का कोई अधिकार नहीं है।

  डॉ. अंबेडकर ने इस संबंध में संविधान सभा में कहा भी था कि "अमेरिकियों को यह सिद्ध करने के लिये गृहयुद्ध छेड़ना पड़ा था कि राज्यों को फेडरेशन से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है तथा उनका फेडरेशन अविनाशी है। प्रारूप समिति का विचार था कि इस प्रश्न को अटकलबाज़ी या विवाद के लिये छोड़ देने की बजाय बेहतर यही है कि इसे आरंभ में ही स्पष्ट कर दिया जाए।"

अध्याय
5

नागरिकता (Citizenship)

नागरिकता का सामान्य अर्थ-व्यक्ति और राज्य के अंतर्संबंधों की उद्घोषणा है। यह मनुष्य की उस स्थिति का नाम है जिसमें मनुष्य को नागरिक का स्तर प्राप्त होता है। नागरिक केवल ऐसे व्यक्तियों को कहा जा सकता है, जिन्हें राज्य की ओर से सभी राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्रदान किये गए हों और जो उस राज्य के प्रति विशेष निष्ठा रखते हों।

नागरिकता में यह तथ्य भी सम्मिलित है कि व्यक्ति का अपने राष्ट्र/राज्य के प्रति स्थायी निष्ठा भाव तो हो ही साथ में राज्य द्वारा व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी हेतु कुछ अधिकार व कर्त्तव्य भी दिये जाएँ, जिनका प्रयोग वह स्वयं के सर्वांगीण विकास के साथ-साथ समाज कल्याण हेतु भी करे। अत: नागरिकता कतिपय व्यक्ति को दायित्व, अधिकार, कर्त्तव्य और विशेषाधिकार प्रदान करती है।

5.1 परिचय *(Introduction)*

भारतीय संविधान अनुच्छेद 1-4 (भाग-I) तक भारत के राज्यक्षेत्र से संबंधित उपबंध देने के बाद अनुच्छेद 5-11 (भाग-II) में स्पष्ट करता है कि इस राज्यक्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों में से नागरिक कौन होंगे। संविधान में नागरिकता से संबंधित बहुत कम प्रावधान देते हुए सिर्फ यह बताया गया है कि संविधान लागू होने के दिन किन व्यक्तियों को भारत का नागरिक माना जाएगा। बाद की स्थितियों के लिये नागरिकता संबंधी कानून बनाने की पूर्ण शक्ति संसद को दी गई है। इस शक्ति के आधार पर संसद ने सर्वप्रथम 1955 में 'नागरिकता अधिनियम' पारित किया था। उसके बाद, उसने समय-समय पर इस अधिनियम में प्रासंगिक संशोधन भी किये हैं।

व्यक्तियों के विभिन्न वर्ग *(Different categories of persons)*

किसी देश में रहने वाले व्यक्तियों को उनके कानूनी दर्जे (Legal status) के आधार पर साधारणत: निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है–

- **नागरिक (Citizens):** 'नागरिक' किसी देश के 'पूर्ण सदस्य' होते हैं। वे राज्य तथा संविधान के प्रति निष्ठा रखते हैं। उन्हें सभी मूल अधिकार व बहुत से कानूनी अधिकार प्राप्त होते हैं तथा उनसे राज्य द्वारा घोषित कर्त्तव्यों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। कोई व्यक्ति किस देश का नागरिक है, इसकी सामान्य कसौटी यह है कि उसके पास किस देश का पासपोर्ट है या वह किस देश का पासपोर्ट प्राप्त करने की अर्हता रखता है?
- **अन्यदेशीय व्यक्ति (Aliens):** ये वे व्यक्ति हैं जो किसी अन्य देश के नागरिक हैं। तकनीकी तौर पर इन्हें 'विदेशी' भी कहा जाता है। अन्यदेशीय व्यक्तियों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है– 'मित्र अन्यदेशीय' तथा 'शत्रु अन्यदेशीय'। जिन देशों के साथ हमारा युद्ध चल रहा होता है, उनके नागरिकों को 'शत्रु अन्यदेशीय' कहते हैं जबकि शेष देशों के नागरिक 'मित्र अन्यदेशीय' कहलाते हैं।

  अन्यदेशीय व्यक्तियों को वे सभी अधिकार प्राप्त नहीं होते जो नागरिकों के पास होते हैं। देश के संविधान तथा अन्य अधिनियमों में स्पष्ट किया जाता है कि उनके पास कौन–से अधिकार नहीं होंगे। उदाहरण के लिये, भारत में अन्यदेशीय व्यक्तियों को अनुच्छेद 21 के तहत 'जीवन का अधिकार' प्राप्त है किंतु अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 'स्वतंत्रता का अधिकार' प्राप्त नहीं है। शत्रु अन्यदेशीय व्यक्तियों को कुछ अन्य अधिकारों से भी वंचित किया जा सकता है जो मित्र अन्यदेशीय व्यक्तियों को दिये गए हों। उदाहरण के लिये, अनुच्छेद 22(3) में गिरफ्तारी से संरक्षण के संबंध में जिस प्रकार के विस्तृत अधिकार भारत के नागरिकों तथा मित्र अन्यदेशीय व्यक्तियों को प्राप्त हैं, वैसे अधिकार शत्रु अन्यदेशीय व्यक्तियों को नहीं।

डी.एल.पी. बुकलेट्स की विशेषताएँ

- आयोग के नवीनतम पैटर्न पर आधारित अध्ययन सामग्री।
- पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म, सारणी तथा फ्लोचार्ट का उपयुक्त समावेश।
- विषयवस्तु की सरलता, प्रामाणिकता तथा परीक्षा की दृष्टि से उपयोगिता पर विशेष ध्यान।
- प्रत्येक अध्याय के अंत में विगत वर्षों में पूछे गए एवं संभावित प्रश्नों का समावेश।

Website : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

DrishtiIAS

YouTube Drishti IAS

drishtiias

drishtithevisionfoundation

641, First Floor, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009
Phones : 8750187501, 011-47532596